भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-680
25 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

680. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री श्रीरंग चंदू बारणे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनियां और विदेशी निवेशक अभी भी विद्युत उत्पादन क्षेत्र से व्यापक रूप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों और विदेशी निवेशकों की गैर-भागीदारी से सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है जो पहले ही वित्तीय दबाव झेल रहा है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उत्पादकों और विदेशी निवेशकों की गैर-भागीदारी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उत्पादकों और विदेशी निवेशकों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए है/कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : जी नहीं। भारत में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है और भारत में विद्युत क्षेत्र में सभी स्रोतों (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) से उत्पादन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। दिनांक 30.06.2024 तक के अनुसार, देश में कुल संस्थापित क्षमता 4,46,190 मेगावाट है और इसमें से निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 2,34,065 मेगावाट अर्थात 52.5% है। इसके अलावा, देश में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा स्थापित की जा रही हैं।

(ङ) : विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:-

i. दिनांक 28.01.2016 को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ संशोधित टैरिफ नीति की अधिसूचना जारी की गई।

ii. डिस्कॉमो द्वारा उत्पादकों से दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि के आधार पर विद्युत खरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे विद्युत उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता मिली।

iii. उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम 2022 की अधिसूचना जारी की गई।

iv. हरित ऊर्जा खुली पहुँच नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी की गई।

v. बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना तथा नई क्षमता सब-स्टेशन का सृजन करना।

****